

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 514/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

अनमोल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

- बनाम
1. किरणदीप कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 3. चरणजीत कौर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 4. इकमन सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 5. जीवनजोत कौर पुत्री श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 6.9.2024

वादी अनमोल सिंह ने प्रतिवादीगण किरणदीप कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की माता, प्रतिवादी सं. 2 वादी का चाचा, प्रतिवादी सं. 3 वादी की चाची एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 वादी के चचेरे भाई व बहिन है। जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.277 है. कृषि भूमि, वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 11/27 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.518 है. कृषि भूमि तथा वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 5.439 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनो पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 4 व 5 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

वादी अनमोल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

150/162 27 8/1/0.126 है., 9,10/0.253 है.प्र.

कुल 0.632 है. कृषि भूमि

लगातार --2

राकेश कुमार मीना एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(अ) प्रतिवादीया सं. 1 किरणदीप कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
150/162 27 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,
2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
150/162 27 14,17,23,24/0.253 है.प्र.
कुल 1.012 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
151/161 23 19,22/0.253 है.प्र.
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
150/160 11 24/0.253 है.
150/161 24 4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है.,
7,14,16,17,24,25/0.253 है.प्र.
150/162 27 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है.,
5/2/0.025 है., 7/0.253 है.
150/161 23 20,21/0.253 है.
151/162 28 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,
2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
कुल 4.048 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 3 चरणजीत कौर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
150/162 27 15,16,25/0.253 है.प्र.
कुल 0.759 है. कृषि भूमि

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 11/27 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
150/161 24 13,18,19,21,22,23/0.253 है.प्र.
कुल 1.518 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 5 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के वाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के लगातार --3

संगरिया अधीक्षक एवं
अपराजित अधिकारी
संगरिया

जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 6 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 164/49, 11/27 व 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 सांझा खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.277 है। कृषि भूमि, वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 11/27 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.518 है। कृषि भूमि तथा वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 5.439 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 सांझा खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी अनमोल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
150/162 27 8/1/0.126 है., 9,10/0.253 है.प्र.
कुल 0.632 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 2 किरणदीप कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
150/162 27 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,
2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

150/162 27 14,17,23,24/0.253 है.प्र.
कुल 1.012 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

लगातार --4

मोहम्मद अली खान एव
उपजज अधिकारी
संगरिया

150/160	11	24/0.253 है.
150/161	24	4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है., 7,14,16,17,24,25/0.253 है.प्र.
150/162	27	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 7/0.253 है.
150/161	23	20,21/0.253 है.
151/162	28	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., कुल 4.048 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 4 चरणजीत कौर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला ठगुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 10	ए.एम.पी. खाता सं. 164/49	जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/162	27	15,16,25/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है. कृषि भूमि
चक 10	ए.एम.पी. खाता सं. 11/27	जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/161	24	13,18,19,21,22,23/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है. कृषि भूमि

वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.277 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को 0.759 है., कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 11/27 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.518 है. कृषि भूमि की प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 5.439 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.632 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.759 है. कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
निल खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयावी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 6.9.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कमलेस्वर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 514/2024

अनमोल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

- किरणदीप कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- धरणजीत कौर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- इकमन सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- जीवनजोत कौर पुत्री श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 6.9.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जागिन मुदई श्री महावीर बेरड वकील प्रतिवादीगण मिन जागिनब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी अनमोल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

150/162 27 8/1/0.126 है., 9,10/0.253 है.प्र.
कुल 0.632 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 2 किरणदीप कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

150/162 27 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,
2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

150/162 27 14,17,23,24/0.253 है.प्र.
कुल 1.012 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 3 भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

151/161 23 19,22/0.253 है.प्र.
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

लगातार --2

राकेश कुमार मीना एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
151/161	23	19,22/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि
चक 10 ए.एम.पी.		खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/160	11	24/0.253 है.
150/161	24	4/1/0.215 है., 4/2/0.038 है., 7,14,16,17,24,25/0.253 है.प्र.
150/162	27	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 7/0.253 है.
150/161	23	20,21/0.253 है.
151/162	28	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., कुल 4.048 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ)

प्रतिवादी सं. 4 चरणजीत कौर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/162	27	15,16,25/0.253 है.प्र. कुल 0.759 है. कृषि भूमि

चक 10 ए.एम.पी. खाता सं. 11/27 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/161	24	13,18,19,21,22,23/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है. कृषि भूमि

वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 164/49 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.277 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 3 को 0.759 है., कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे, इसी प्रकार वादी की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 11/27 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.518 है. कृषि भूमि की प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 ए.एम.पी. के खाता सं. 62/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 5.439 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.632 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.759 है. कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 6.9.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया